

अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आवश्यक सूचना

संस्था में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति (एस.सी)/अनुसूचित जनजाति (एस.टी) वर्ग के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सागर का पत्र क्रमांक/आ0वि0/पीएमएस/2021/1276 सागर, दिनांक 8/10/2021 के संदर्भानुसार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों तथा लेट्रल ऐण्ट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के आवेदन ऑन लाईन www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS के माध्यम से करना हैं। अतः समस्त पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति का आवेदन उपरोक्त पोर्टल में भरकर हार्ड कॉपी प्रिंट करके निम्नलिखित दस्तावेजों सहित संस्था के छात्रवृत्ति शाखा/नोडल सेंटर में आवश्यक रूप से जमा कराये।

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 से अनुसूचित जाति के प्रथम वर्ष पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन फार्म भी एमपीटास पोर्टल से ही भरे जाना हैं।
2. समस्त विद्यार्थियों का प्रोफाइल पंजीयन कराना अनिवार्य हैं।
3. विद्यार्थियों के बैंक खाते आधार आधारित या आधार से लिंक हो (NPCI Active)
4. बैंक खाते कियोस्क के न हो किसी न किसी बैंक ब्रांच में ही हों ताकि खाते में जमा/निकासी की सीमा की समस्या न हो।
5. खाते की लिमिट लगभग 100000 या इससे अधिक हो।
6. जाति प्रमाण पत्र डिजीटल होना आवश्यक हैं।
7. आय प्रमाण पत्र स्वयं का मान्य नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र पिता का होना चाहिए यदि पिता नहीं है तो मां की आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।

नोट -

1. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से पूर्व प्रवेशित एससी वर्ग के छात्र/छात्रायें पूर्ववत् [mp scholarship portal 2.0](http://mp.scholarship.portal.2.0) में नवीनीकरण का आवेदन करेंगे। तथा 2021-22 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित एससी वर्ग के छात्र www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे।
2. एस.टी वर्ग के समस्त छात्र/छात्रायें पूर्ववत् www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति का आवेदन करेंगे।
3. ओ.बी.सी. वर्ग के समस्त छात्र/छात्रायें पूर्ववत् [mp scholarship portal 2.0](http://mp.scholarship.portal.2.0) पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति का आवेदन करेंगे।

छात्रवृत्ति फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज निम्न क्रम में संलग्न करे :-

1. पिता के नाम से डिजीटल आय प्रमाण पत्र, की छाया प्रति।
2. पिता/माता (एक अथवा दोनों की) शासकीय सेवक होने की स्थिति में नियोजक द्वारा प्रदाय किया हुआ फार्म 16 की अनिवार्य रूप से छायाप्रति जमा करें।
3. पिता के नाम से आय का आय का शपथ प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. अन्य महाविद्यालय अथवा छात्रवृत्ति स्कीम का लाभ नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र (प्रपत्र www.igecsagar.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं।)
5. विद्यार्थी के नाम बैंक पास बुक की छाया प्रति आई.एफ.एस.सी कोड सहित।
6. आधार कार्ड की छाया प्रति।
7. समग्र आई डी की छाया प्रति।
8. EKYC, आधार कार्ड नं. को खाते से लिंक कराना अनिवार्य हैं।

12

कार्यालय प्राचार्य, इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर (म0प्र0)
(म.प्र. शासन द्वारा स्वशासी घोषित)

9. एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों को ई-प्रोफाईल पंजीयन कराना अनिवार्य है।
10. एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों के लिए, छात्रावासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
11. डिजिटल स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
12. मध्यप्रदेश का डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
13. फीस रसीद की छाया प्रति।
14. एडमिशन रसीद की छाया प्रति।
15. नवीन आवेदित छात्र/छात्रायें दसवी, बारहवी एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
16. लेटरल ऐन्ट्री के छात्र/छात्रायें डिप्लोमा एवं दसवी की अंकसूची की छाया प्रति।
17. नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें सभी सेमे. की अंकसूची की छाया प्रति।
18. छात्र/छात्रा का कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति का प्रमाण-पत्र।
19. समस्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाता से लिंक कराने का प्रपत्र/Annuxere A – अनिवार्य हैं।
20. एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों को छात्रावास विहिन प्रमाण-पत्र प्रारूप -2 अनिवार्य हैं।
21. एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों को छात्रावास संबंधी घोषणा पत्र, प्रारूप-3 अनिवार्य हैं।

प्र. प्राचार्य
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)

पृ. क्र0 /इम./छा.वृ./2021/ / 2594

सागर, दिनांक:- 12/11/2021

प्रतिलिपि :- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर की ओर विद्यार्थियों को सूचित करने बावत्।
2. वेबसाइट प्रभारी की ओर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

12

प्र. प्राचार्य
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)